न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या– 01/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/41

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
बालुराम पुत्र केसराराम जाति रेगर निवासी मंगलाना तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		1. उगमाराम पुत्र जयराम 2. ओमप्रकाश पुत्र जयराम 3. गणेश पुत्र आसु 4. प्रकाश पुत्र भागुराम 5. भंवरलाल पुत्र उदाराम 6. भींवाराम पुत्र जयराम 7. मोहनराम पुत्र उदाराम 8. राजुराम पुत्र उदाराम 9. सुखाराम पुत्र भागुराम 10. सतुराम पुत्र उदाराम 11. संतोष पुत्र भागुराम 12. सरजु पत्नी जयराम जातियान जाट निवासीगण कलकला की ढाणी तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 13. श्री बलवीरसिंह उपखण्ड अधिकारी परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 14. आसुराम पुत्र मंशाराम जाति मेघवाल निवासी कलकला की ढाणी तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 15. बाबुलाल पुत्र धुलाराम जाति रेगरा निवासी मूंगेर आसपुरा जिला डूंगरपुर। 16. मुकेश पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी कलकला की ढाणी तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 17. मदनलाल पुत्र चन्द्राराम जाति खटीक निवासी काला नाडा मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 18. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी कलकला की ढाणी तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 19. सुरेश पुत्र म[illegible] खटीक निवासी काला [illegible] मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 20. [illegible] निवासी सिणगारा तहसील [illegible] अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

30/4/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

आवेदन अधीन धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम

बाबत् मुन्तकिल करने पत्रावली प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान उगमाराम वगैरा बनाम आसूराम वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कमल किशोर मोठ
2. अप्रार्थी 01 ता 12 की ओर से वकील श्री रणजीत बलारा

आदेश दिनांकः 30.04.2024

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 ने मुझ आवेदनकर्ता प्रार्थी व दीगर परफोरमा अप्रार्थीगण संख्या 14 से 20 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर में एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राज0 टि0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि उनके कब्जासुद खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु गांव कलकला की ढाणी राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नं. 206 व 207 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण की भूमि के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता अपनी कृषि भूमि के पश्चिमी दक्षिणी कौने की तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 305/203 के दक्षिणी हिस्से से होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 206, 207 में आने जाने के लिए गाड़ी, छकड़ा, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहते है। यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 305/203 के दक्षिणी हिस्से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 206, 207 में आने जाने हेतु रास्ता घौषित किया जावें।

उक्त धारा 251ए राज0 टि0 एक्ट के आवेदन का मुझ प्रार्थी बालुराम सहित अन्य अप्रार्थीगण मदनलाल व सुरेश ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने आवेदन गलत आधारों पर पेश किया है प्रार्थीगण को खसरा नं. 208 की तरफ से रास्ता की मांग करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में अनुचित रास्ता की मांग की है खसरा नं. 208 की पश्चिमी [illegible] की मांग कर सकते है व खसरा नं. 302/198, 197, 196 से [illegible] हुए रास्ता मौके पर चालू है इसलिए खसरा नं. 208, 207 में आने जाने के लिए [illegible] ही दूरी पर रास्ता उपलब्ध हो जाता है मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 302 [illegible] की जरूरी सींव सींव होकर खसरा नं. 197, 196 मौके पर [illegible] रास्ता से होते हुए खसरा नं. 208 की पश्चिमी सीमा से कुछ दूरी पर रास्ता उपलब्ध हो सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

था उसका जानबूझ कर उल्लेख नहीं किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 186 मीटर दूरी का है जबकि खसरा नं. 208 से रास्ता की मांग करने पर उक्त रास्ता मात्र 30 मीटर से अधिक की दूरी का नहीं हो सकता है। यह भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय को उक्त प्रावधान के तहत यह देखना आवश्यक है कि क्या चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं, जबकि प्रार्थीगण की सुविधा के लिए सबसे नजदीक रास्ता खसरा नं. 208 से होते हुऐ है।

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति जवाब के जरिये प्रकट कर दी गयी है व दुबारा रिपोर्ट मंगवाने के बावजूद पटवारी व आर.आई. वगैरा अप्रार्थीगण के दबाव व प्रभाव में आकर पुनः गलत व विरोधाभाषी रिपोर्ट पेश की है तथा पहले से नजदीकी वैकल्पिक रास्ता होते हुऐ भी उपखण्ड अधिकारी श्री बलवीरसिंह पर राजनेतिक दबाव व प्रभाव बना कर जबरन रास्ता कायम करवाने पर आमादा है जबकि जहां रास्ता चाहा गया है वहां हमारा पुराना कमरा बनाया हुआ है लेकिन जानबूझ कर प्रथम मौका रिपोर्ट में कमरा नहीं दर्शाया है व दुसरी मौका रिपोर्ट में कमरा तो बताया है मगर नया निर्माण बता कर गलत अंकन किया गया है व ऐसी गलत रिपोर्टों को आधार बना कर हमारा पूराना कमरा आदि तोड़ कर नया रास्ता कायम करने हेतु नजदीक पेशीयां दी जा रही हैं व आनन फानन में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु दिनांक 16.08.2023 को पेशी नियत कर दी है व अप्रार्थीगण खुले आम धमकियां दे रहे है कि अपने पक्ष में आदेश करवा कर रहेगें उनकी बात उपखण्ड अधिकारी से हो गयी है तथा उपखण्ड अधिकारी भी स्थानीय राजनेताओं के दबाव में आकर विधि विरूद्ध तरीके से हमारे विरूद्ध आदेश पारित करने की अप्रत्यक्ष रूप से घौषणा कर दी है इस कारण वर्तमान पीठासीन अधिकारी से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से इस प्रकरण की पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल की जाना आवश्यक व न्याय संगत है जिस हेतु यह आवेदन पेश है।

2. यह है कि धारा 251ए राज0 टिनेन्सी एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिस खातेदार की जोत आने जाने का कोई कदीमी वैकल्पिक रास्ता नहीं हो तो उस स्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका निरीक्षण करवा कर नजदीकी दूरी को जो रास्ता हो उस रास्ता को धारा 251ए के तहत घौषित किया जा सकता है। जबकि इस प्रकरण में पहले से दो दो वैकल्पिक रास्ते कम दूरी के लग रहे है तथा किसी प्रकार की नये रास्ता की [illegible] सकता नहीं है सुविधा के लिए नया रास्ता घौषित करने का कोई प्रावधान [illegible] है इसके बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 जो कि धनाढ्य व राज[illegible]क रसूखात रखने वाले लोग है अपने खेतों की कीमत बढ़ाने के लिए दो रास्ता कायम करवाना चाहते हैं इस हेतु मिथ्या आधारों पर आवेदन पेश कर [illegible] मौका रिपोर्ट मौके की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:58 IST
Reason: SelfAttested

30/4/24

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

स्थिति के विपरीत पेश करवाई है तथा उपखण्ड अधिकारी से बार बार निवेदन करने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण की पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है व आज ही पेशी नियत होने के कारण ईमेल के जरिये उपखण्ड अधिकारी परबतसर को निर्णय करने से रोके जाने की तहरीर/मैसेज प्रेषित किया जाना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार अति आवश्यक व न्याय संगत है।

3. यह है कि अप्रर्थीगण संख्या 1 से 12 हमारे से अदावत रखते है तथा हमारे को नाजायज क्षति कारित करने व हमारी भूमि को असुरक्षित करने के दुराशय से बिना आवश्यकता के धारा 251ए राज0 टि0 एक्ट का आवेदन पेश किया है तथा जहां से रास्ता कायम करवाना चाहते है वहां हमारा पुराना कमरा बना हुआ है जिसे तोड़ना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है।
4. यह है कि पटवारी, आर.आई. वगैरा ने जानबूझ कर वैकल्पिक रास्तों का हवाला मौका रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर रहे है तथा हमारे निर्माण व अन्य धोरा पाली पेड़ पोधा का कोई हवाला जानबूझ कर नहीं कया है विरोधाभाषी रिपोर्टे स्थानीय प्रधान वगैरा के दबाव व प्रभाव में आकर तैयार की है तथा उपखण्ड अधिकारी भी स्थानीय प्रधान के दबाव में है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 स्थानीय प्रधान व अन्य राजनेताओं को उपखण्ड अधिकारी से मिलवा कर इस प्रकरण में येन केन प्रकरण रास्ता घौषित करवाने का आदेश करवा कर हमारे पुराने निर्माण वगैरा को तोड़ने की खुली ऐलानिया धमकियां दी जा रही है व उपखण्ड अधिकारी राजनेतिक दबाव व प्रभाव में है ऐसी स्थिति में हमें उन से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।
5. यह है कि न्यायिक प्रक्रिया का विधि द्वारा यह सुस्थापित सिद्वांत है कि न केवल पक्षकारान के बीच न्यायपूर्ण निर्णय किया जाये बल्कि पक्षकारान व आम जनता के समक्ष प्रकट होना चाहिए कि वास्तव में न्याय किया गया है। उक्त सुस्थापित सिद्वांत की परिकल्पना को स्थापित करने के लिए भी प्रकरण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है।
6. यह है कि यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि उपखण्ड अधिकारी महोदय पद का दुेरूपयोग कर कथित गैर कानूनी रूप से आनन फानन में बिना आवश्यकता के रास्ता घौषित करना चाहते है जिससे इस प्रकरण की पत्रावली अन्य न्यायालय में निर्णय हेतु मुन्तकिल की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।
7. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 14 से 20 [illegible] में बतौर अप्रार्थी पक्षकार दर्ज होने से उन्हे बतौर [illegible]मा अप्रार्थी प[illegible] दर्ज कर विधिवत आवेदन पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:58 IST
Reason: SelfAttested

30/4
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

8. यह है कि आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणों के मध्य नजर पत्रावली संख्या 167/2022 बअनवान उगमाराम वगैरा बनाम आसुराम वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर की पत्रावली को अन्यत्र सक्षम अधिकारी को सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 से 12 की तरफ से वकील श्री रणजीत बलारा ने वकालतनामा पेश किया। उपखण्ड अधिकारी परबतसर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वर्तमान उपखण्ड अधिकारी भी राजनितिक दबाव में आकर हमारे विरूद्ध निर्णय पारित कर सकते हैं। अतः पत्रावली संख्या 167/2023 बअनवान उगमाराम वगैरा बनाम आसुराम वगैरा उपखण्ड अधिकारी परबतसर को तलब कर एस.डी.एम. परबतसर के अलावा अन्यत्र सक्षम अधिकारी को सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी परबतसर का स्थानान्तरण हो चुका है तथा जिस अधिकारी के विरूद्ध यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया हैं उनका स्थानान्तरण अन्य जगह हो चुका है। अतः पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह आरोप है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी परबतसर) से साठ गांठ करके अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय कराने पर उतारू है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या 01 से 12 पीठासीन अधिकारी से मिले हूए हो। जिन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है उनका स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो चुका है। प्रार्थीगण का आरोप है कि नये पीठासीन अधिकारी से भी अप्रार्थी संख्या 01से 12 मिली भगत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित करवा सकते हैं परन्तु इस संबंध में भी प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य या सबुत पेश नहीं किये हैं।

चुकि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका हैं उनके स्थान पर नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है ऐसी स्थिति में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 30.04.2024 को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:58 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन